

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Appeal Case No.- 03/2026]

Sunita Kumari.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.9.2026	आदेश यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-15822/2019 में दिनांक15.10.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में नई अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-917-2/आ0, दिनांक-31.10.2018 के विरुद्ध दायर किया गया है। दिनांक-01.07.2026 को विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण अगली सुनवाई में उपस्थित होकर अपना रक्ष रखने का अंतिम अवसर दिये जाने के अंतरिम आदेश के बावजूद दिनांक-09.09.2026 को उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक के Final Argument को सुना तथा आवेदक के वाद पत्र एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका सुनिता कुमारी का वाद पत्र के माध्यम से अभिकथन है कि - 1. सुपौल जिला में नई डीलर अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन संख्या-01/2017 प्रकाशित किया गया। जिसमें प्रखंड-पिपरा, ग्राम पंचायत-ठाढ़ी भवानीपुर हेतु तीन (03) रिक्ति में से 01-अनुसूचित जाति (महिला), 01-पिछड़ा वर्ग (महिला) एवं 01-अनारक्षित प्रकाशित किया गया। 2. आवेदिका ने रोस्टर बिन्दु 112 के विरुद्ध उक्त पंचायत के अन्तर्गत PDS डीलर की पिछड़ा वर्ग (महिला) के रिक्ति के लिए आवेदन किया था। 3. इस हेतु प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में आवेदिका का नाम क्रम संख्या-01 पर था, क्योंकि कम्प्यूटर में ADCA कोर्स के साथ उन्हें स्नातक में 67% अंक था। 4. विपक्षी संख्या-06 रानी देवी, सचिव, उत्कर्ष जीविका ग्राम संगठन, विशनपुर का नाम औपबंधिक मेधा सूची में प्रकाशित नहीं था। औपबंधिक मेधा सूची में मात्र दो ही आवेदकों का नाम था। एक अन्य आवेदिका पूनम कुमारी जो इन्टरमीडिएट थी का नाम मेधा सूची में आवेदिका से नीचे था। 5. दिनांक-20.07.2018 को अंतिम सूची प्रकाशित की गई जिसके द्वारा आवेदिका का चयन PDS डीलर हेतु रोस्टर बिन्दु 112 पिछड़ा वर्ग (महिला) के विरुद्ध किया गया तथा उन्हें दिनांक-24.08.2018 को अनुज्ञप्ति प्राधिकार-सह- अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या-59/2018 निर्गत किया गया। दिनांक-29.10.2018 से आवेदिका को वितरण हेतु राशन आदि दिया गया। जून, 2019 तक आवेदिका के द्वारा राशि आदि बिक्री किया गया। 6. अचानक दिनांक-25.10.2018 को चयन-सह-स्क्रिनिंग समिति की	



Jr

२९.९.२०१६

बैठक आहुत की गयी जिसमें क्रमांक-30 पर विपक्षी रानी देवी के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए उन्हें आवेदिका के स्थान पर PDS अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

7. आवेदिका यह जानकर यह स्तब्ध रह गई कि बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए उनके PDS अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित बिन्दुओं का आरोप लगाते हुए दिनांक-02.11.2018 को जिला पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित किया :-
 - (i) रानी कुमारी, सचिव जीविका समूह ने रोस्टर बिन्दु संख्या-112 के विरुद्ध आवेदन नहीं किया था।
 - (ii) सुलेखा देवी, अध्यक्ष, उत्कर्ष जीविका ग्राम संगठन ने रोस्टर बिन्दु संख्या-113 के विरुद्ध आवेदन किया था।
 - (iii) औपबंधिक मेधा सूची के विरुद्ध उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
 - (iii) PDS डीलरसिप के विज्ञापन संख्या-01/2017 में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदक को एक रसीद मिलेगी, जिसमें क्रम संख्या, अपीलकर्ता का नाम, आवेदक के हस्ताक्षर का उल्लेख होगा। लेकिन अपने आवेदन में उन्होंने रोस्टर बिन्दु के बारे में उल्लेख नहीं किया।
 - (iv) उत्कर्ष जीविका ग्राम संगठन के 50 प्रतिशत सदस्य पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणी से नहीं है।
8. जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-925-2 दिनांक-02.11.2018 के द्वारा अगले आदेश तक स्क्रिनिंग कमिटी के दिनांक-25.10.2018 के निर्णय पर तत्काल रोक लगाई गयी।
9. जिला पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में पुनः स्क्रिनिंग कमिटी की बैठक बुलाई गयी जिसमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, के पत्रांक-2928-2 दिनांक-20.06.2018 के अनुसार जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति के आवंटन के मामले में मैट्रिक पास सचिव और अध्यक्ष का प्राथमिकता दी जानी चाहिए और तदनुसार विपक्षी रानी कुमारी को जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी निर्णय को वैध माना गया।
10. जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा जारी विज्ञापन में पात्रता का कॉलम, जो स्पष्ट शब्दों में चयन का मानदंड निर्धारित करता है, वहीं प्राथमिकता का एक अतिरिक्त कॉलम उल्लेखित किया गया है। इसके अनुसार
 - i. स्वयं सहायता समूह
 - ii. महिलाओं की सहकारी समिति
 - iii. पूर्व सैनिकों की सहकारी समिति
 - iv. शिक्षित बेरोजगार
 संबंधित वार्ड/पंचायत के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी
11. यह विज्ञापन बिहार सरकार द्वारा 10.03.2016 को जारी किया "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" के आलोक में प्रकाशित किया गया है। इस नियमावली में प्रावधान है कि स्वयं सहायता समूह केवल विचार के लिए पात्र है। चयन के मामले में उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी थी। इस प्रकार जिला पदाधिकारी द्वारा जारी विज्ञापन में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दिया जाना मुख्य नियम "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली



29.9.2026

(नियंत्रण) आदेश 2016'' के आलोक में असंगत है।

12. साथ ही उक्त अनुशंसा में रानी देवी के पास कम्प्यूटर में कोई डिग्री होने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार रानी देवी के चयन में "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016'' के नियम-9(v) का उल्लंघन किया गया है।
13. "उत्कर्ष जीविका ग्राम संगठन" की वास्तविकता के संबंध में उचित जाँच नहीं की गयी कि उसका गठन नियमानुसार है या नहीं।
14. विपक्षी संख्या-6, रानी देवी ने ग्राम पंचायत ठाढ़ी भवानीपुर के तहत रोस्टर बिन्दु 112 में आवेदन नहीं किया था। औपबंधिक मेधा सूची में "उत्कर्ष जीविका ग्राम संगठन" के अध्यक्ष, सुलेखा देवी का नाम क्रमांक संख्या-130 पर रोस्टर बिन्दु-113 के विरुद्ध प्रकाशित हुआ।
15. सुलेखा देवी के द्वारा औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन के विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी। विपक्षी रानी देवी दृश्य में कही नहीं हैं। वे चयन की पूरी कार्यवाही समाप्त होने के बाद सुलेखा देवी के स्थान पर आने का प्रयास कर रही थी जो नियम सम्मत नहीं है।

विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सहरसा द्वारा राज्य की ओर से दाखिल जवाब -

1. जिला पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रियाओं की सभी मापदंड विधि अनुरूप एवं दिशा-निर्देशों के अनुकूल विधिसम्मत आदेश के द्वारा सभी अभ्यर्थियों के दावा और आपत्ति आवेदन के आलोक में PDS डीलरसिप के योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

2. जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय विधिसम्मत है।

विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सहरसा के Final बहस को सुनने, वाद पत्र तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम-8(i) के अनुसार उचित मूल्य के दुकार के आवंटन में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दिया जाना प्रावधानित है।

उपरोक्त के आलोक में जिला चयन समिति द्वारा प्रश्नगत मामले में लिए गये निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप आवश्यकता नहीं पाते हुए अपीलार्थी के इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी जाय। निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

